

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/342

दिनांक :- 20.4.2019

स्मरण पत्र/शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

सेवा में,

01. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक,
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

02. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक,
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय/संस्थान
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषय:- 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष सवर्गों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने से प्रदेश पर आने वाले व्यय-भार के सापेक्ष भारत सरकार से केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया विश्वविद्यालय पत्रांक: सम्बद्धता/5491, दिनांक 29.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जोकि उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक : 496/सत्तर-4-2019-358 (विवेआ)/2018, दिनांक 28.02.2019 भारत सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष सवर्गों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने से प्रदेश पर आने वाले व्यय-भार के सापेक्ष भारत सरकार से केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव दिनांक 31.03.2019 तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक : 496/सत्तर-4-2019-358(विवेआ)/2018, दिनांक 28.02.2019 के आलोक में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष सवर्गों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने से प्रदेश पर आने वाले व्यय-भार के सापेक्ष भारत सरकार से केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनांक 23.04.2019 तक अनिवार्य रूप से संलग्न पत्र के अनुसार वांछित सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनकी अपेक्षा के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से विश्वविद्यालय की ई-मेल dyaffiliation@gmail.com पर व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
02. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
03. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
04. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रतिकुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
05. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
05. डा० राजीव कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, माधवपुरम, मेरठ को संज्ञानार्थ प्रेषित।

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/549
दिनांक :- 29.3.2019

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

सेवा में,

01. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

02. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक,
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषय:- 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष सवर्गों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने से प्रदेश पर आने वाले व्यय-भार के सापेक्ष भारत सरकार से केन्द्रांश की पूर्तिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक 496/सत्तर-4-2019-358(विवेआ)/2018, दिनांक 28.02.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जोकि भारत सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष सवर्गों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने से प्रदेश पर आने वाले व्यय-भार के सापेक्ष भारत सरकार से केन्द्रांश की पूर्तिपूर्ति हेतु प्रस्ताव दिनांक 31.03.2019 तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया जाता है कि इस पत्र के साथ सलग्न उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक 496/सत्तर-4-2019-358(विवेआ)/2018, दिनांक 28.02.2019 के आलांक में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष सवर्गों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने से प्रदेश पर आने वाले व्यय-भार के सापेक्ष भारत सरकार से केन्द्रांश की पूर्तिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2019 तक अनिवार्य रूप से सलग्न पत्र के अनुसार वांछित सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनकी अपेक्षा के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से विश्वविद्यालय की ई-मेल dyaffiliation@gmail.com पर व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

सुबदीय,
19/03/19
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
02. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
03. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माओ कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
04. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रतिकुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
05. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
06. डा० राजीव कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, माधवपुरम, मेरठ को संज्ञानार्थ प्रेषित।
06. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा उ०प्र०, प्रयागराज।

ई-मेल / समयबद्ध / अति
संख्या-496 / सत्तर-4-2019-358(विवेआ)

F-0 / AP (A.B.B.)

Registrar
Chaudhary Charan Singh University
Meerut

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

विषय-7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष संवर्गों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने से प्रदेश पर आन पाल व्यवहार के माध्यम से भारत सरकार से केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव के समक्ष में।

लखनऊ : दिनांक 22 फरवरी, 2019

- नहोदय

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-डिग्री बजट/5144-45/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के सम्बन्ध में ग्रहण करे जो समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्य/प्राचार्या समस्त राज्यीय महाविद्यालय उ०प्र० के संबंधित तथा शासन को सूचनार्थ पृष्ठांकित हैं।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष संवर्गों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने से प्रदेश पर आन पाल व्यवहार के माध्यम से भारत सरकार से केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव दिनांक 31.03.2019 तक उपलब्ध करना उनकी अपेक्षा की गयी है। अतएव प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष संवर्गों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ अनुमत्त किये जाने की अपेक्षा प्रदान किये जाने के पश्चात मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग भारत सरकार एवं दिल्ली के उनकी अपेक्षा के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं एवं अपेक्षित अभिलेखों सहित पूर्ण प्रस्ताव शासन को दिनांक 02 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

नहोदय

(सर्वेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित समय में विषय के सापेक्ष प्रतिपूर्ति किये जाने विषयक प्रस्ताव निर्धारित समयावधि के पूर्व निदेशक उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराये।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश।

सर्वेश कुमार सिंह